

94

107

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

क्रमांक: पा. 11/आवासन/अल्पसंख्यक/2003/3024

दिनांक: 11-11-2003


कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए धन्वन्तरि हॉस्पिटल एण्ड रिजर्व सेंटर, 67/56, मन्दारा बस स्टैण्ड के पास, न्यू साँगाणेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तें:-

- 1. हास्पिटल में बर्हिगम रोगी/ओ.पी.डो. / आन्तरिक रोगों के रूप में भर्ती होने पर कुल देय राशि में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी
- 2. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मंडल द्वारा अन्य प्राइवेट हास्पिटलों पर लागू है, इन पर भी लागू होंगी ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय को पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव 11/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सुदूर अभियंता, रा. आ. ., जयपुर
- 2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि. स. एवं यु. मे. अ. /अति. गु. अ. ,.... रा. आ. मं. ज
- 3. उप आवासन आयुक्त, वृत्त...
- 4. आवासीय अभियंता, खण्ड...
- 5. लेखाधिकारी, वित्त/मुगलान, रा. आ. ., जयपुर
- 6. सभसा अधिकारी/ समस्त प्रजोष्ठ गु. .
- 7. निदेशक, धन्वन्तरि हॉस्पिटल एण्ड रिजर्व सेंटर, 67/56 ए, मन्दारा बस स्टैण्ड के पास, न्यू साँगाणेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर
- 8. रक्षितपत्रावली/नोटिस बोर्ड

सचिव